न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 18/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुरजकंवर पत्नि मोडसिंह		1. संतोषकंवर पत्नि जब्बरसिंह
2. स्वरूपकंवर पुत्री मोडसिंह		जाति-राजपूत,निवासी-केकिन्दड़ा
3. बाबूकंवर पुत्री मोडसिंह		तहसील-जैतारण, जिला-पाली
जातियान-राजूपत,निवासी-केकिन्दड़ा		2. तहसीलदार, जैतारण एवं
तहसील-जैतारण, जिला-पाली		उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
		तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू.31/01/2017

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री करणीदान चारण एवं श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- दिनांकः- 23/01/2018

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-केकिन्दड़ा, पटवार हल्का-केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं जब्बरसिंह एवं अन्य हिस्सेदारों की पैतृक पुश्तैनी खातेदार व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 529 रकबा 163-02 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 539 रकबा 61-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 541 रकबा 1-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 541/01 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 542 रकबा 15-03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 548 रकबा 2-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 561 रकबा 40-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-7 कुल रकबा 284-03 बीघा की आई हुई हैं। उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि वादीगण के पति व पिता मोडसिंह पुत्र हरनाथसिंह का 1/6वां हक हिस्सा व अधिकार था, जो वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 539/1 रकबा 20-00 बीघा किस्म बारानी प्रथम की आई हुई हैं। उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि वादीगण के पति व पिता मोडसिंह पुत्र हरनाथसिंह का 1/6वां हक हिस्सा व अधिकार था, जो वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि हैं। इस प्रकार इन उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि को आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। नकल चालू जमाबन्दी वाद पत्र के साथ पेश की हैं। जिसे वाद पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वंश वंशावली अनुसार मूल पुरुष मोडसिंह पुत्र हरनाथसिंह के वारिसान सूरजकंवर पत्नि, जब्बरसिंह पुत्र, स्वरूपकंवर पुत्री, बाबूकंवर पुत्री तथा जब्बरसिंह की पत्नि संतोषकंवर हैं। उक्त वर्णित वंशावली के माफिक वादीगण व प्रतिवादीगण सभी मोडसिंह पुत्र हरनाथसिंह के पत्नि, पुत्र व पुत्रियाँ होने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

से उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसारन हैं। उक्त वर्णित विवादित आराजी पर वक्त सेटलमेन्ट के समय काबिज खातेदार काश्तकार हरनाथसिंह वल्द मंगलसिंह थे। हरनाथसिंह का देहान्त होने पर उक्त भूमि हरनाथसिंह पुत्र के विधिक वारिसान मोडसिंह वल्द हरनाथंसिह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। जिसका अंकन जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 में किया हुआ हैं। तत्पश्चात् मोडसिंह के शामलाती ही वादीगण एवं जब्बरसिंह काबिज होकर काश्त करते रहे थे एवं इसी माफिक आराजी राजस्व रेकर्ड में मोडसिंह के नाम दर्ज रही थी जो संवत् 2022 से 2025, 2026 से 2029 तक के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। जो इस वाद पत्र के साथ पेश की हैं। तत्पश्चात् मोडसिंह वल्द हरनाथसिंह का देहान्त हो जाने पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने मोडसिंह के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 204 अकेले जब्बरसिंह के नाम का तैयार किया था, जिसे दिनांक 07/11/1973 को ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवाते हुये भूमि अकेले जब्बरसिंह वल्द मोडसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई थी। जबकि वादीगण स्वर्गीय मोडसिंह की पत्नि व पुत्रियां हैं, जो हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 08 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के माफिक मोडसिंह की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान हैं एवं वादीगण प्रत्येक का मोडसिंह के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की इस भूमि में 1/4–1/4वां हक हिस्सा व अधिकार हैं। इसी माफिक जब्बरसिंह का भी 1/4वां हक हिस्सा व अधिकार हैं। नामान्तरकरण संख्या 204 पटवार हल्का–केकिन्दड़ा वादीगण के हक अधिकारों की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी दस्तावेज हैं। जिसकी पूर्व में वादीगण को कोई जानकारी नहीं थी। वादीगण मोडसिंह के हक हिस्से की भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने व राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने से यह वाद पत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादीगण के पुत्र व भाई जब्बरसिंह पुत्र मोडसिंह के कोई जायन्दा संतान नहीं हुई हैं एवं जब्बरसिंह का आकस्मिक देहान्त दिनांक 21/09/2016 को हो गया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 जब्बरसिंह की विवाहिता पत्नि हैं। जब्बरसिंह के देहान्त उपरान्त वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रतिवादीगण संतोषकंवर व उसके भाईयों ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी के समक्ष निवेदन किया था, जिस पर वादीगण ने मालूमात किया तो पता चला कि उक्त भूमि अकेले जब्बरसिंह के नाम ही दर्ज हैं। जिस पर सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने पर नामान्तरकरण संख्या 204 पटवार हल्का केकिन्दड़ा बाबत् जानकारी हुई हैं। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 204 को घोषित करते हुये वादीगण को उनके हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक होने से यह वाद पत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 की पैतृक व पुश्तैनी संयुक्त व शामलाती हैं। इसी माफिक मोडसिंह के हक हिस्से की भूमि में वादीगण का मौके पर 1/6 में से 3/4वां यानि सम्पूर्ण भूमि में 1/8वां हिस्से की भूमि पर वादीगण का कब्जा व काश्त व हक अधिकार भी हैं। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में मोडसिंह की पत्नि व जायन्दा पुत्रीयां होने के बावजूद भी दर्ज नहीं किया व सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 के पति जब्बरसिंह के नाम

उपखण्ड अधिकारी
केलवाड़ (राजी)

Scanned by CamScanner

दर्ज कर दी हैं तथा जब्बरसिंह का देहान्त हो चुका हैं। उसके बाद उक्त प्रतिवादीगण संख्या 01 अपने भाईयों के सिखावें व बहकावें में आकर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि अपने नाम करवाकर वादीगण को इस वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर उक्त जायदाद को जरिये रहन, बेचान के अन्य हस्तान्तरण करने को आमादा हैं व वादीगण को उनकी पैतृक पुश्तैनी जायदाद से वंचित करने को आमादा हैं। दिनांक 22/01/2017 को प्रतिवादीगण संख्या 01 संतोषकंवर ने वादीगण को एलानिया धमकी भी दी कि उक्त वादग्रस्त भूमि मेरे नाम से करवाने के बाद मैं इस भूमि पर से तुम्हारा कब्जा हटाकर मैं इस जमहीन को बेचान करूंगी एवं तुम्हे कोई हिस्सा नहीं दूंगी। इसी वजह पूछने पर उन्होंने कहा कि जमीन मेरे पति के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। इसलिये तुम्हारा कोई हक हिस्सा यहां पर नहीं हैं। यदि प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो गई, तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। वादीगण अपनी पैतृक पुश्तैनी जायदाद से हमेशा–हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें। वादीगण प्रतिवादीगण के अवैध बेचान व बेदखली की कार्यवाही का विरोध करेगे। जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादगीण के पास अदालत हाजा में यह वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण हैं जो कि राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं एवं राज्य सरकार इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के उन्हें इस वाद पत्र मे इस वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया हैं। जिनके विरूद्ध वाद पत्र पेश करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। परन्तु वाद पत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सवियं कर यह वाद पत्र अनुमति लेकर श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं। जिस हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 22/01/2017 को प्रतिवादीगण संख्या 01 संतोष कंवर द्वारा वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण जायदाद को अपने नाम करवाकर जरिये रहन, बेचान के अन्य हस्तान्तरण अजनबी क्रेता के पक्ष में करवाने की एलानिया धमकी वादीगण को गांव–केकिन्दड़ा, पटवार हल्का–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ हैं जो अब्दर म्याद व श्रमाब् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। जवाब दावा पेश होने पर तनकीयात कायमकी गई। वकील वादी संख्या 01 ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 (डी) एवं धारा 151 सीपीसी को खारिज किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र में से खसरा नम्बर 539/1 रकबा 20–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल में कोई कार्यवाही नहीं चाहती हैं, जिसे वाद पत्र में से हटाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने एक

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तहरीरी राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से मौजिज लोगो की समझाईश से राजीनामा हो गया हैं, खसरा नम्बर 539 की जमीन में से पूर्व में ही इनके पूर्वजो ने बैचान कर दी है, इसलिये इसमें कोई पक्षकारान् का हिस्सा नही रहेगा। खसरा नम्बर 539/1 रकबा 20 बीघा भूमि में से वादीगण का कोई हक अधिकार नही रहेगा। अन्य शेष वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 529, 541, 541/1, 542, 548, 561, की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य हिस्से अनुसार अलग कर दी जावे तो हम वादीगण एवं प्रतिवादी को कोई आपति नही हैं। बाद राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सा. मि. किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस को समायत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। खसरा नम्बर 539/1 रकबा 20-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कार्यवाही बन्द की जाती हैं। लिहाजा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 को उनके हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-केकिन्दड़ा, पटवार हल्का-केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण में जब्बरसिंह एवं अन्य हिस्सेदारों की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 529 रकबा 163-02 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 541 रकबा 1-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 541/01 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 542 रकबा 15-03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 548 रकबा 2-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 561 रकबा 40-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-6 कुल रकबा 286-17 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 को उनके हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खसरा नम्बर 539/1 रकबा 20-00 बीघा में प्रतिवादी संख्या 01 को जब्बरसिंह पुत्र मोडसिंह के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 539 रकबा 61-06 बीघा में दर्ज नाम जब्बरसिंह का हटाया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली) जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner